

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड
उद्यान भवन चौबटिया, रानीखेत (अल्मोड़ा)

पत्रांक 267/दो-14-1/2018-19

दिनांक: चौबटिया: अप्रैल 27 2018

- 1- मुख्य उद्यान अधिकारी
अल्मोड़ा / नैनीताल / पिथौरागढ़ / उधमसिंहनगर / देहरादून /
उत्तरकाशी / चमोली / हरिद्वार।
- 2- जिला उद्यान अधिकारी,
बगेश्वर / चम्पावत / टिहरी / पौड़ी / रुद्रप्रयाग।
- 3- समस्त आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4- उद्यान विशेषज्ञ, कोटद्वार।
- 5- मुख्य मशरूम अधिकारी, ज्योलीकोट / देहरादून।
- 6- अधीक्षक, राजकीय उद्यान चौबटिया / दूनागिरी / रामगढ़।
- 7- वरिष्ठ कीटविद्, राजकीय मौनपालन केन्द्र ज्योलीकोट।
- 8- उपनिदेशक (उद्यान / रसायन), प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र चौबटिया / श्रीनगर।
- 9- उपनिदेशक (वनस्पति), प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र काशीपुर।
- 10- प्रधानाचार्य, राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र रामनगर / कोटद्वार।
- 11- कार्यालयाध्यक्ष, निदेशालय, उद्यान भवन चौबटिया।
- 12- अपर निदेशक, उद्यान, राजकीय उद्यान सर्किट हाउस देहरादून।

विषय : वार्षिक स्थानान्तरण के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयक शासन के अधिसूचना संख्या 12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2007 दिनांक 05.01.2018 एवं कार्मिक अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 30/XXX-2/2018-30(13)/2017 दिनांक 6.1.2018 के अनुपालन में "सुगम से दुर्गम" तथा "दुर्गम से सुगम" क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु विभिन्न संवर्गों के पात्र कार्मिकों का विवरण विभाग की वेबसाईट shm.uk.gov.in पर प्रदर्शित की गई है।

इस सम्बंध में अवगत करना है कि आपके अधीन यदि किसी कार्मिक को अपने सेवा सम्बंधी अभिलेखों के सम्बंध में कोई आपत्ति / संशोधन दर्ज कराना है तो पूर्ण सांक्ष्यो सहित अभिलेख प्रत्येक दशां में दिनांक 15.5.2018 तक निदेशालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि के बाद कोई आपत्ति / संशोधन मान्य नहीं होगा। उक्त के अतिरिक्त अधिनियम की धारा 13, 14, 17 1(ख) के प्राविधानों के अनुरूप अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण चाहने हेतु कार्मिकों से 10 इच्छित स्थानों हेतु विकल्प / आवेदन प्राप्त कर प्रत्येक दशां में दिनांक 30.4.2018 तक विकल्प / आवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(आर0सी0श्रीवास्तव)

निदेशक।

पत्रांक 267/उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि-संयुक्त निदेशक, उद्यान, कुमाऊ मण्डल नैनीताल / गढ़वाल मण्डल पौड़ी को उक्तानुसार सूचनार्थ एवं समान कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर0सी0श्रीवास्तव)

निदेशक।